मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई 2010—श्रावण 5, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2010

क्र. 15672-वि.स.-विधान-2010.--मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 27 जुलाई, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१०

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ११ में, उपधारा (१) में, खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ) मण्डी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जिसे कि इस अधिनियम के अधीन किसी मण्डी समिति से ऐसे तुलैये तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों से अनुज्ञप्ति धारण कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों द्वारा तथा उन्हीं के बीच से ऐसी रीति में चुना गया हो जो कि विहित की जाए:

परन्तु धारा १० के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मण्डी समिति की दशा में, ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी;".

धारा ४१ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ञ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(ट) ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि, जो राज्य के भीतर की किसी मण्डी समिति से तुलैए तथा हम्माल के रूप में लगातार दो वर्षों की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण किये हुए हो:

परन्तु धारा १० के अधीन प्रथम बार स्थापित किसी मण्डी समिति की दशा में, ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य की मण्डी समितियों में कृषि उपज के निर्बाध विपणन में तुलैयों और हम्मालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. अत: यह आवश्यक है कि उन्हें मण्डी समिति के गठन में तथा राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) के गठन में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए. यद्यपि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा ११ की उपधारा (१) के खण्ड (छ), में, मण्डी समिति के गठन में, अध्यक्ष, मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों और हम्मालों का, उनमें से एक प्रतिनिधि नामनिर्देशित किया जाकर, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है, किन्तु वर्तमान में राज्य स्तर पर मण्डी बोर्ड के गठन में तुलैयों और हम्मालों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है.

२. अत: मण्डी समिति के गठन में तुलैयों और हम्मालों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से, अध्यक्ष द्वारा उनका प्रतिनिधि नामनिर्देशित किये जाने के बजाए, विहित रीति में तुलैयों और हम्मालों के प्रतिनिधि को चुने जाने का विनिश्चय किया गया है. इस प्रयोजन के लिये मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के खण्ड (छ) का प्रतिस्थापन किया जाना प्रस्तावित है. राज्य स्तर पर मण्डी बोर्ड के गठन में तुलैयों और हम्मालों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये मूल अधिनियम की धारा ४१ में एक नया प्रावधान सम्मिलित किया गया है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १९ जुलाई, २०१०.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, २०१० के जिन खण्डों द्वारा विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रहीं हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड २ (छ) : तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि तुलैयों तथा हम्मालों द्वारा तथा उन्हीं के बीच से विहित रीति में चुने जाने के संबंध में;

खण्ड ३ (ट) : राज्य स्तर पर मण्डी बोर्ड के गठन में तुलैयों और हम्मालों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किये जाने के संबंध में.

राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392] भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2010—श्रावण 6, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2010

क्र. 4486-283-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 18 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 11.

2. In Section 11 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), in sub-section (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :—

"(g) One representative of the weighmen and hammals operating in the marketing area elected in such manner as may be prescribed, by and from amongst the weighmen and hammals holding licence from a market committee for a period of two successive years as a weighman and hammal under this Act :

Provided that in case of market committee established for the first time under Section 10, the qualifying period of holding licence from such market committee shall be six months;".

Amendment of Section 41.

3. In Section 41 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (j), for full stop, the semi colon shall be substituted and thereafter the following clause shall be added, namely :—

"(k) One representative of weighmen and hammals holding licence as a weighman or hammal in any market committee within the State for a period of two successive years :

Provided that in case of market committee established for the first time under Section 10, the qualifying period of holding licence from such market committee shall be six months.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a prime role of weighmen and hammals in smooth marketing of agricultural produce in the market committees of the State. Hence it is necessary that they should be given representation in the constitution of the market committee and also in constitution of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board (Mandi Board) at the State level. However, under clause (g) of sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), there is provision to ensure representation of licensed weighmen and hammals in the constitution of market committee by nominating one representative from among them by the Chairman, Market Committee, but at present there is no representation of weighmen and hammals in the constitution of Mandi Board at the State level.

2. Hence with a view to make proper representation of weighman and hammals in the constitution of market committee, instead of nomination of their representative by the Chairman, it has been decided to choose the representative of weighmen and hammals by election in the manner prescribed. For this purpose substitution of clause (g) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act is proposed. To ensure representation of weighmen and hammals in the constitution of Mandi Board at the State level a new provision has been included in Section 41 of the principal Act.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 19th July 2010

DR. RAMKRISHNA KUSMARIYA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.